ग्राम पंचायत लुदरेट, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176027
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लुदरेट, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती किरण कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुमन कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत लुदरेट के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**0.72**
2.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**27.89**
3.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	**3.49**
4.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**6.07**
5.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	**0.02**
6.	9.1	मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना	**1.30**

7.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि	**0.05**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत लुदरेट, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2024 से 19.12.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	08/2022	05/2022
2023-24	08/2023	08/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 10/2024/लुदरेट दिनांक 19.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/18/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 34/2024 दिनांक 07.12.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	385256.00	46555.00	431811.00	309837.00	121974.00
2023-24	121974.00	88531.00	210505.00	33775.00	176730.00

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1983792.37	2766991.65	4750784.02	2363276.45	2387507.57
2023-24	2387507.57	1741534.00	4129041.57	1340431.00	2788610.57

कुल योग (1+2) = 176730.00 + 2788610.57 = **2965340.57**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **₹29,65,340.57** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹30,37,5825.57** **(परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.24 को**
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	20027072283	₹ 1,76,710.00
2.	5 वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938756	₹ 3,02,563.62

3.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938778	₹ 76,478.00
4.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50061448085	₹ 35,644.52
5.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938745	₹ 6,631.40
6.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938789	₹ 5,259.00
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938790	₹ 0.00
8.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100376728321	₹ 1,18,440.00
9.	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938803	₹ 1,01,160.03
10.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50064566763	₹ 0.00
11.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100366750645	₹ 22,14,534.00
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 20.00
	हस्तगत नकद शेष (13TH FC)			₹ 142.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :-			₹ 30,37,585.57
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹30,37,585.57**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष			**₹29,65,340.57**
	अंतर :-			**₹72,242.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.72 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹72,242.00** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/लुदरेट दिनांक 09.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/10/2024 दिनांक 09.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित रोकड़ बहियों के साथ-साथ E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों का भी अद्यतन किया गया है एवं हस्तलिखित रोकड़ बहियों से E-Gram Swaraj Portal पर कार्य करने हेतु परिवर्तन के दौरान त्रुटिपूर्वक online रोकड़ बहियों एवं बैंक में राशि **₹72,242** के अंतर बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर संधारित रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाते नहीं खोले गये थे जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना(RAYEAAY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938789
2.	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना(RAYEAAY) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/लुदरेट दिनांक 09.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/09/2024 दिनांक 09.12.2024 द्वारा पंचायत द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को बताया कि नियमानुसार राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना(RAYEAAY) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY) के बैंक खातों को अलग-अलग कर लिया जाएगा एवं अलग-अलग रोकड़ बहियों का संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना(RAYEAAY) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/लुदरेट दिनांक 09.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/11/2024 दिनांक 09.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में वस्तुस्थिति नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹27.89 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 34/2024 दिनांक 07.12.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹27,88,610.57** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/लुदरेट दिनांक 09.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/11/2024 दिनांक 09.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पी सी एच-एच (ए) (5) सी(15)313/89-4614-

4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/लुदरेट दिनांक 09.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/11/2024 दिनांक 09.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त स्पष्ट निर्देशों के दृष्टिगत इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के सम्बन्ध में यह मामला विशेष रूप से विभागीय उचाधिकारियों के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.81 लाख की उचित वसूली के समर्थन में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **33** के अनुसार पंचायत को राजस्व के उचित निर्धारण एवं संग्रहण का अधिकार है।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग एवं संग्रहण पंजिका अपूर्ण पाई गई। पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹81,150.00** के पंचायत राजस्व की वसूली **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न विवरणानुसार की गई थी जिससे संबंधित रसीदों एवं रोकड़ बही का अवलोकन अंकेक्षण के दौरान किया गया परंतु संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/लुदरेट दिनांक 10.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/12/2024 दिनांक 10.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग एवं संग्रहण पंजिका अपूर्ण है जिसे पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका के अपूर्ण होने की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये मांग व संग्रहण पंजिका को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹3.49 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचयाती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ङ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹3,48,685.00** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/लुदरेट दिनांक 16.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/16/2024 दिनांक

16.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹3,48,685.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹6.07 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹6,07,180.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को

पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " च "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लुदरेट दिनांक 19.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/17/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के पैरा क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि ₹1,6850.00 का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹2,106.25** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च तकनीकी अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

8.4 राशि ₹8.43 लाख के बिल/ वाउचरों हेतु नियमानुसार भुगतान आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **49(1)** में पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिलों का भुगतान केवल प्रधान के हस्ताक्षर उपरांत किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्र०सं०	**वित्तीय वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2021-22	05/2022	**5,03,727.00**
2.	2023-24	08/2023	**3,39,684.00**
		कुल योग	**8,43,411.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लुदरेट दिनांक 19.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/17/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा एवं नियमानुसार भुगतान से पूर्व संयुक्त अदायगी आदेश का इस्तेमाल किया जाएगा।

अतः पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से पालन न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों पर संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव के हस्ताक्षरों के उपरान्त ही बिलों की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.30 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये

मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹1,29,617.38** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिससे संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाये व नियमानुसार कार्यों के भुगतानों को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से निम्न विवरणानुसार वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹5,400.00** को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है:-

क्र०सं०	पंजीकरण वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022-23	2600
2	2023-24	2800
	योग	5400

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/लुदरेट दिनांक 10.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/15/2024 दिनांक 10.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन

पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था, जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर स्वतः प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लुदरेट दिनांक 19.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/17/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका

में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था। नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.5 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/खाता बही	29 (1 से 3)	07

4.	वर्गीकृत सार रजिस्टर	29 (4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	---
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लुदरेट दिनांक 10.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/13/2024 दिनांक 10.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के

अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	**रजिस्टर क्रमांक**	**रजिस्टर का प्रायोजन**
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लुदरेट दिनांक 10.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/14/2024 दिनांक 10.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता एवं गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लुदरेट दिनांक 19.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LUDRET/17/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

14 FEB 2025

1072– 1076 का०/प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)455/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत लुदरेट, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लुदरेट, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP LUDRET FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	385256.00	46555.00	431811.00	309837.00	121974.00
2023-24	121974.00	88531.00	210505.00	33775.00	176730.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1983792.37	2766991.65	4750784.02	2363276.45	2387507.57
2023-24	2387507.57	1741534.00	4129041.57	1340431.00	2788610.57

Sanjay Kumar

Secretary
Gram Panchayat Ludret
Development Block N/Suria

25

30

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लुदरेट, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LUDRET FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC	2022-23	196478.62	258626.00	455104.62	234050.00	221054.62
		2023-24	221054.62	527729.00	748783.62	446220.00	302563.62
2	SDP	2022-23	56102.00	236492.00	292594.00	109996.00	182598.00
		2023-24	182598.00	94155.00	276753.00	200275.00	76478.00
3	VKVNY	2022-23	84934.52	26536.00	111470.52	74906.00	36564.52
		2023-24	36564.52	1065.00	37629.52	1985.00	35644.52
4	MPLADS	2022-23	6257.40	178.00	6435.40	0.00	6435.40
		2023-24	6435.40	196.00	6631.40	0.00	6631.40
5	MMAY	2022-23	3426.00	19824.00	23250.00	19500.00	3750.00
		2023-24	3750.00	156.00	3906.00	0.00	3906.00
6	RAYEAAY	2022-23	1353.00	0.00	1353.00	0.00	1353.00
		2023-24	1353.00	0.00	1353.00	0.00	1353.00
7	SBM	2022-23	33538.00	405.00	33943.00	33943.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MMGPY	2022-23	288167.00	5244.00	293411.00	243203.00	50208.00
		2023-24	50208.00	123189.00	173397.00	54017.00	119380.00
9	13TH FC	2022-23	95593.03	2723.00	98316.03	0.00	98316.03
		2023-24	98316.03	2986.00	101302.03	0.00	101302.03
10	14TH FC	2022-23	164478.80	286810.00	451288.80	451288.80	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15TH FC	2022-23	1053464.00	843239.00	1896703.00	109475.00	1787228.00
		2023-24	1787228.00	641324.00	2428552.00	287200.00	2141352.00
12	MGNREGA	2022-23	0.00	1086914.65	1086914.65	1086914.65	0.00
		2023-24	0.00	350734.00	350734.00	350734.00	0.00

Sanjay Kumar

Ludret

Development Block N/Sura

26

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लुदरेट, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० - 176027

ग्राम पंचायत लुदरेट के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	20027072283	₹ 1,76,710.00	₹ 1,76,730.00
2	5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938756	₹ 3,02,563.62	₹ 3,02,563.62
3	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938778	₹ 76,478.00	₹ 76,478.00
4	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50061448085	₹ 35,644.52	₹ 35,644.52
5	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938745	₹ 6,631.40	₹ 6,631.40
6	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938789	₹ 5,259.00	₹ 5,259.00
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938790	₹ 0.00	₹ 0.00
8	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100376728321	₹ 1,18,440.00	₹ 1,19,380.00
9	13वाँ वित्तायोग (13TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055938803	₹ 1,01,160.03	₹ 1,01,302.03
10	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50064566763	₹ 0.00	₹ 0.00
11	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100366750645	₹ 22,14,534.00	₹ 21,41,352.00
			हस्तगत नकद शेष (Own Source)	₹ 20.00	₹ 0.00
			हस्तगत नकद शेष (13TH FC)	₹ 142.00	₹ 0.00
			कुल योग	**₹ 30,37,582.57**	**₹ 29,65,340.57**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 30,37,582.57**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 29,65,340.57**
अंतर :-	**₹ 72,242.00**

Sanjay Kumar.

Ludret

N/Suma

27

32

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लुदरेट, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176027

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 473 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 476 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 33,700.00	473	₹ 50.00	₹ 23,650.00	₹ 57,350.00	₹ 0.00	₹ 57,350.00
2023-24	₹ 57,350.00	476	₹ 50.00	₹ 23,800.00	₹ 81,150.00	₹ 81,150.00	₹ 0.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को गृहकर की राशि बकाया नहीं है।						

Secretary
Gram ... Ludret
Development Block N/Surian
Sanjay Kumar

22 20

परिशिष्ट " ड. ", पैरा संख्या " 3.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लुदरेट द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 3.49 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	फार्म X / फार्म Y
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
1	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	001/ 30.04.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	उपलब्ध नहीं है
2				Sand Local	₹ 650.00	4.00	ft^3	₹ 2,600.00	
3	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	002/ 01.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	14.00	m^3	₹ 18,900.00	उपलब्ध नहीं है
4	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	003/ 02.05.2021	Bajri Crusher 63-90	₹ 1,100.00	6.50	m^3	₹ 7,150.00	उपलब्ध नहीं है
5	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	76/ 01.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	उपलब्ध नहीं है
6	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	77/ 02.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	3.50	m^3	₹ 5,600.00	उपलब्ध नहीं है
7	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	010/ 10.01.2022	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,300.00	29.00	m^3	₹ 37,700.00	उपलब्ध नहीं है
8	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	012/ 11.01.2022	Sand Crusher	₹ 1,600.00	16.00	m^3	₹ 25,600.00	उपलब्ध नहीं है
9	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	94/ 11.01.2022	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,300.00	6.50	m^3	₹ 8,450.00	उपलब्ध नहीं है
10	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	95/ 11.01.2022	Sand Local	₹ 650.00	4.50	m^3	₹ 2,925.00	उपलब्ध नहीं है
11	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	007/ 02.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	3.00	m^3	₹ 1,500.00	उपलब्ध नहीं है
12	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	008/ 02.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.11	m^3	₹ 3,376.00	उपलब्ध नहीं है
13				Sand Local	₹ 650.00	2.11	ft^3	₹ 1,371.50	
14	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	009/ 03.06.2021	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,350.00	8.00	m^3	₹ 10,800.00	उपलब्ध नहीं है
15	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	78/ 05.05.2021	Bajri Crusher 10,20,30mm	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	उपलब्ध नहीं है
16	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	79/ 06.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.00	m^3	₹ 9,600.00	उपलब्ध नहीं है
17	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	80/ 06.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	3.00	m^3	₹ 3,900.00	उपलब्ध नहीं है
18	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	81/ 06.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	उपलब्ध नहीं है
19	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	83/ 02.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	3.30	m^3	₹ 5,280.00	उपलब्ध नहीं है
20	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	84/ 03.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	उपलब्ध नहीं है
21	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	82/ 01.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	उपलब्ध नहीं है
22	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	85/ 04.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.70	m^3	₹ 10,720.00	उपलब्ध नहीं है

29

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	फार्म X / फार्म Y
23	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	86/ 04.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	उपलब्ध नहीं है
24	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	87/ 04.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	उपलब्ध नहीं है
25	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	004/ 03.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.00	m^3	₹ 9,600.00	उपलब्ध नहीं है
26				Sand Local	₹ 650.00	5.00	ft^3	₹ 3,250.00	
27	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	005/ 04.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	20.00	m^3	₹ 27,000.00	उपलब्ध नहीं है
28	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	006/ 05.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	5.00	m^3	₹ 2,500.00	उपलब्ध नहीं है
29	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	014/ 06.03.2022	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.25	m^3	₹ 3,600.00	उपलब्ध नहीं है
30				Sand Local	₹ 650.00	2.25	m^3	₹ 1,462.50	
31	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	015/ 07.03.2022	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	7.00	m^3	₹ 9,450.00	उपलब्ध नहीं है
32	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	016/ 07.03.2022	Boulder Stone	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	उपलब्ध नहीं है
33	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	92/ 12.10.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	उपलब्ध नहीं है
34				Sand Local	₹ 650.00	4.00	m^3	₹ 2,600.00	
35				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	9.00	m^3	₹ 11,700.00	
36				Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	
37	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	93/ 12.10.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	उपलब्ध नहीं है
38				Sand Local	₹ 650.00	4.00	m^3	₹ 2,600.00	
39				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	9.00	m^3	₹ 11,700.00	
40				Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)								
41	Sanjay Kumar & Sons	VKVNY/2022-23/P/1 13.05.2022	87/ 23.09.2021	Local Bajri	₹ 650.00	6.00	m^3	₹ 3,900.00	उपलब्ध नहीं है
42				Sand Local	₹ 650.00	1.00	m^3	₹ 650.00	
43	Sanjay Kumar & Sons	VKVNY/2022-23/P/2 19.05.2022	63/ 15.03.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.00	m^3	₹ 3,200.00	उपलब्ध नहीं है
44				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	
45	Sanjay Kumar & Sons		62/ 14.03.2021	Sand Local	₹ 600.00	5.00	m^3	₹ 3,000.00	उपलब्ध नहीं है
	अनुदान शीर्ष : 14वाँ वित्तायोग (14TH FC)								
46	Sanjay Kumar & Sons	FFC/2022-23/P/4 18.05.2022	88/ 22.09.2021	Sand Local	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	उपलब्ध नहीं है
47	Sanjay Kumar & Sons	FFC/2022-23/P/4 18.05.2022	89/ 01.10.2021	Sand Local	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	उपलब्ध नहीं है
48				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	
	वित्त वर्ष 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग (15TH FC)								
49	Sanjay Kumar & Sons	XVFC/2023-24/P/3 03.08.2023	113/ 01.03.2023	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	उपलब्ध नहीं है
50				Sand Local	₹ 650.00	10.00	m^3	₹ 6,500.00	
51				Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.00	m^3	₹ 3,200.00	
							कुल जोड़	**₹ 3,48,685.00**	

Tech Assist G.P. Ludret

30

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लुदरेट द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशी ₹6.07 लाख की सामग्री/स्टॉक का क्रय करना एवं स्टॉक प्रविष्टि न करने का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
1	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	001/ 30.04.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
2				Sand Local	₹ 650.00	4.00	ft^3	₹ 2,600.00	
3	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	002/ 01.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	14.00	m^3	₹ 18,900.00	
4	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	003/ 02.05.2021	Bajri Crusher 63-90	₹ 1,100.00	6.50	m^3	₹ 7,150.00	
5	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	76/ 01.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	
6	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	77/ 02.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	3.50	m^3	₹ 5,600.00	
7	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	010/ 10.01.2022	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,300.00	29.00	m^3	₹ 37,700.00	
8	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	012/ 11.01.2022	Sand Crusher	₹ 1,600.00	16.00	m^3	₹ 25,600.00	
9	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	94/ 11.01.2022	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,300.00	6.50	m^3	₹ 8,450.00	
10	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	95/ 11.01.2022	Sand Local	₹ 650.00	4.50	m^3	₹ 2,925.00	
11	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	007/ 02.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	3.00	m^3	₹ 1,500.00	
12	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	008/ 02.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.11	m^3	₹ 3,376.00	
13				Sand Local	₹ 650.00	2.11	ft^3	₹ 1,371.50	
14	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	009/ 03.06.2021	Bajri Crusher 10-20mm	₹ 1,350.00	8.00	m^3	₹ 10,800.00	
15	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	78/ 05.05.2021	Bajri Crusher 10,20,30mm	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	
16	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	79/ 06.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.00	m^3	₹ 9,600.00	
17	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	80/ 06.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	3.00	m^3	₹ 3,900.00	
18	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	81/ 06.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	
19	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	83/ 02.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	3.30	m^3	₹ 5,280.00	
20	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	84/ 03.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	
21	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	82/ 01.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	
22	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	85/ 04.06.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.70	m^3	₹ 10,720.00	

31

36

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
23	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	86/ 04.06.2021	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	8.00	m^3	₹ 10,400.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
24	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	87/ 04.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	
25	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	004/ 03.05.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	6.00	m^3	₹ 9,600.00	
26				Sand Local	₹ 650.00	5.00	ft^3	₹ 3,250.00	
27	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	005/ 04.05.2021	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	20.00	m^3	₹ 27,000.00	
28	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	006/ 05.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	5.00	m^3	₹ 2,500.00	
29	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	014/ 06.03.2022	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.25	m^3	₹ 3,600.00	
30				Sand Local	₹ 650.00	2.25	m^3	₹ 1,462.50	
31	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	015/ 07.03.2022	Bajri Crusher	₹ 1,350.00	7.00	m^3	₹ 9,450.00	
32	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	016/ 07.03.2022	Boulder Stone	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	
33	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	92/ 12.10.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	
34				Sand Local	₹ 650.00	4.00	m^3	₹ 2,600.00	
35				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	9.00	m^3	₹ 11,700.00	
36				Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	
37	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	93/ 12.10.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	4.00	m^3	₹ 6,400.00	
38				Sand Local	₹ 650.00	4.00	m^3	₹ 2,600.00	
39				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	9.00	m^3	₹ 11,700.00	
40				Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)								
41	Sanjay Kumar & Sons	VKVNY/2022-23/P/1 13.05.2022	87/ 23.09.2021	Local Bajri	₹ 650.00	6.00	m^3	₹ 3,900.00	
42				Sand Local	₹ 650.00	1.00	m^3	₹ 650.00	
43	Sanjay Kumar & Sons	VKVNY/2022-23/P/2 19.05.2022	63/ 15.03.2021	Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.00	m^3	₹ 3,200.00	
44				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	
45	Sanjay Kumar & Sons		62/ 14.03.2021	Sand Local	₹ 600.00	5.00	m^3	₹ 3,000.00	
	अनुदान शीर्ष : मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)								
46	Pankaj Enterprises	MMPGY/2022-23/P/7 20.05.2022	503/ 04.04.2022	Tile Dumbbell 60 mm	₹ 13.46	2200.00	No.s	₹ 29,612.00	
47	Pankaj Enterprises	MMPGY/2022-23/P/9 20.05.2022	501/ 04.04.2022	Tile Dumbbell 60 mm	₹ 13.46	1200.00	No.s	₹ 16,152.00	
48	Pankaj Enterprises	MMPGY/2022-23/P/8 20.05.2022	505/ 04.04.2022	Tile Dumbbell 60 mm	₹ 13.46	2100.00	No.s	₹ 28,266.00	
49	Pankaj Enterprises	MMPGY/2022-23/P/6 20.05.2022	507/ 04.04.2022	Tile Dumbbell 60 mm	₹ 13.46	2500.00	No.s	₹ 33,650.00	
	अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)								
50	Pankaj Enterprises	SDP/2023-24/P/7 16.08.2023	737/ 22.07.2023	Interlock Tile 60 mm	₹ 13.95	2000.00	No.s	₹ 27,900.00	

32

Tech Assistant
S.D. LUDRET
Dev. Block N/Sation

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
	अनुदान शीर्ष : 14वाँ वित्तायोग (14TH FC)								
51	Sanjay Kumar & Sons	FFC/2022-23/P/4 18.05.2022	88/ 22.09.2021	Sand Local	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	
52	Sanjay Kumar & Sons	FFC/2022-23/P/4 18.05.2022	89/ 01.10.2021	Sand Local	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	
53				Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	
	वित्त वर्ष 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग (15TH FC)								
54	Sanjay Kumar & Sons	XVFC/2023-24/P/3 03.08.2023	113/ 01.03.2023	Bajri Crusher	₹ 1,300.00	2.00	m^3	₹ 2,600.00	
55				Sand Local	₹ 650.00	10.00	m^3	₹ 6,500.00	
56				Sand Crusher	₹ 1,600.00	2.00	m^3	₹ 3,200.00	
57	M/s Shiva Traders	XVFC/2023-24/P/1 01.08.2023	281/ 20.06.2023	Water Tanki iron Sheet 14 gauge 4x4	₹ 32,500.00	1.00	No.s	₹ 32,500.00	
58				Water Tanki Stand size 4x2.5	₹ 125.00	40.00	Kgs	₹ 5,000.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
59	M/s Shiva Traders	XVFC/2023-24/P/2 01.08.2023	282/ 20.06.2023	Water Tanki iron Sheet 14 gauge 4x4	₹ 32,500.00	1.00	No.s	₹ 32,500.00	
60				Water Tanki Stand size 4x2.5	₹ 125.00	40.00	Kgs	₹ 5,000.00	
61	M/s Shiva Traders	XVFC/2023-24/P/7 26.08.2023	336/ 21.08.2023	Water Cooler Usha	₹ 32,900.00	1.00	No.s	₹ 32,900.00	
62			337/ 21.08.2023	Water Cooler Stand with net and door	₹ 7,650.00	1.00	No.s	₹ 7,650.00	
63	Andoria Marble House	XVFC/2023-24/P/6 26.08.2023	830/ 21.08.2023	Blow Next Vectus 300 Ltr	₹ 1,900.00	1.00	No.s	₹ 1,900.00	
64	M/s Shiva Traders	XVFC/2023-24/P/8 26.08.2023	338/ 21.08.2023	C.PVC Pipe 1/2"	₹ 250.00	5.00	No.s	₹ 1,250.00	
65				C.PVC Union	₹ 100.00	2.00	No.s	₹ 200.00	
66				C.PVC Soket	₹ 15.00	3.00	No.s	₹ 45.00	
67				C.PVC Elbow	₹ 25.00	4.00	No.s	₹ 100.00	
68				Gate Wall	₹ 180.00	1.00	No.s	₹ 180.00	
69				Float Valve	₹ 350.00	1.00	No.s	₹ 350.00	
70				Iron Union	₹ 120.00	2.00	No.s	₹ 240.00	
71				Cooler Installation Pipe	₹ 2,500.00	1.00	No.s	₹ 2,500.00	
72				Wire 5 mtr	₹ 600.00	1.00	No.s	₹ 600.00	
							कुल जोड़	**₹ 6,07,180.00**	

Suman Kumari
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत Ludret
विकास खण्ड नाहिल सुरौ़ो

Rajesh Singh
Tech Assistt
G. P. Ludret
Dev. Block N/Surao

Development Block N/Surao

33

परिशिष्ट " ८७ ", पैरा संख्या " ८.३ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लुदरेट द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
1	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	003/ 02.05.2021	Bajri Crusher 63-90	₹ 1,100.00	6.50	m^3	₹ 7,150.00	12.5 %	₹ 893.75
2	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	007/ 02.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	3.00	m^3	₹ 1,500.00	12.5 %	₹ 187.50
3	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	81/ 06.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	12.5 %	₹ 125.00
4	Sanjay Kumar & Sons	Nil/ 25.05.2022	87/ 04.06.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	2.00	m^3	₹ 1,000.00	12.5 %	₹ 125.00
5	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	006/ 05.05.2021	Boulder Stone	₹ 500.00	5.00	m^3	₹ 2,500.00	12.5 %	₹ 312.50
6	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	016/ 07.03.2022	Boulder Stone	₹ 650.00	2.00	m^3	₹ 1,300.00	12.5 %	₹ 162.50
7	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	92/ 12.10.2021	Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	12.5 %	₹ 150.00
8	Amit Kumar Contractor	Nil/ 25.05.2022	93/ 12.10.2021	Boulder Stone	₹ 600.00	2.00	m^3	₹ 1,200.00	12.5 %	₹ 150.00
							कुल जोड़	₹ 16,850.00		₹ 2,106.25

Suman Kumari

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत लुदरेट
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जि. कांगड़ा (हि.प्र.)

Rajesh Singh
Tech Assist
G. P. Ludret
Dev. Block N/ Surian

Secretary
Gram Panchayat Ludret
Development Block N/Surian

34

परिशिष्ट "ज ", पैरा संख्या "9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लुदरेट द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.30 लाख के अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का पाया जाना

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	सामग्री पर व्यय योग्य राशी (कुल व्यय का 40%)	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1	C/O LAND PROTECTION WORK IN THE LAND OF KRISHAN KUMAR S/O HARDYAL SINGH NALA (NALI)	1304010479/FP/8000085039	₹ 91,510.60	₹ 65,374.60	₹ 36,604.24	₹ 28,770.36
2	C/O LAND PROTECTION WORK IN THE LAND OF JARNAIL SINGH S/O PYAR SINGH	1304010479/FP/8000085160	₹ 46,226.80	₹ 31,376.80	₹ 18,490.72	₹ 12,886.08
3	C/O(MNREGA SAMGR) RWH TANK IN THE LAND OF DEV RAJ S/O KIKAR SINGH	1304010479/IF/32155631	₹ 81,931.68	₹ 52,033.68	₹ 32,772.67	₹ 19,261.01
4	C/O(MNREGA SAMGR)RWH TANK IN THE LAND OF KRISHNA DEVI W/O HARBANS LAL	1304010479/IF/32155632	₹ 89,114.32	₹ 59,414.32	₹ 35,645.73	₹ 23,768.59
5	C/O (MNREGA SAMGER) LAND PROTECTION WORK IN THE LAND OF SURAM CHAND S/O BELI RAM	1304010479/IF/32171230	₹ 44,710.80	₹ 30,256.80	₹ 17,884.32	₹ 12,372.48
6	C/o (MNREGA SAMGER) Protection work in the land of Reshma devi w/o Baldev singh	1304010479/IF/32173615	₹ 87,153.60	₹ 59,631.60	₹ 34,861.44	₹ 24,770.16
7	निर्माण प्रोटेक्शन वर्क अशोक कुमार की जमीन को भूस्खलन से वचाव हेतू	1304010479/LD/8000054440	₹ 26,868.50	₹ 16,312.50	₹ 10,747.40	₹ 5,565.10
8	C/O Watertank in the land of Sawarna devi w/o Hemraj ward no.4	1304010479/WC/8000045068	₹ 90,554.00	₹ 37,774.00	₹ 36,221.60	₹ 1,552.40
9	C/O Water tank in the land of Ajay kumar s/o Jagannath ward no.4	1304010479/WC/8000045071	₹ 92,807.00	₹ 37,794.00	₹ 37,122.80	₹ 671.20
		कुल जोड़	₹ 6,50,877.30	₹ 3,89,968.30	₹ 2,60,350.92	₹ 1,29,617.38

Suman Kumari

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत लुदरेट
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
त. ज्वाली कांगड़ा (हिं.प्र.)

Rajesh Singh
Tech Assistt
G.P. Ludret
Dev Block N/Surian

Sanjay Kumar
Secretary
Gram Panchayat Ludret
Development Block N/Surian

35